


29/11/23

अर्थात् 29.5.6.18 का 14 अंश 11-40) पत्र लक्ष्य  
का हरे शेर की लक्ष्मी ठिके क 29/11/23  
को पेश है 

1/kankey  
रजिस्टार  
मैरौठी  
Butech

~~29/11/23~~  
31/11/23

वारी व वकील प्रार्थी उपोक्त / प्रार्थी  
का मूल वाद ता. पेनी पालेन का <sup>प्रार्थी</sup> पेश  
होने पर पेनी में खिना जाकर विद्वान के  
आधार पर खारिज किया जा चुका है  
प्रार्थी वकील के एक प्रार्थ, जो प्रार्थ आचार्य  
विषयाज्ञा के विद्वान का पेश किया/आया  
सि है। चूंकि प्रार्थी का मूल वाद विद्वान  
के आधार पर खारिज हो चुका है  
अतः प्रार्थना पत्र का आगे चलाने का  
कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का  
प्रार्थना पत्र आचार्य विषयाज्ञा को भी  
दोस्ताने पर विद्वान के आधार पर  
खारिज किया जाता है प्रार्थना पत्र  
ले कर हरे शेर वापस देना है।



उपस्थित अधिकारी  
श्रीधर (पूरा)